न्यायाधीश एबी चौधरी और कुलदीप सिंह के समक्ष।

हरेन्द्र पाल-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता

2015 का सीआरए-डी नंबर **499**-डीबी

अक्टूबर 03, 2018

भारतीय दंड संहिता***, 1860***-धारा ***302, 307, 506, 148*** और ***149***-दोषसिद्धि - स्थिरता-शिकायतकर्ता पक्ष ने हत्या करने के अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं पर हत्या करने का आरोप लगाया - ***12*** बोर की एक गोली चलाई गई - कालापन हुआ - गोली शरीर में घुस गई और विभिन्न भागों में लगी- स्कैपुला से टकराने के बाद गोली विक्षेपित हो गई जिससे विभिन्न अंगों में घातक चोटें आईं- शिकायतकर्ता कथित अभियुक्त ने गली से अंधाधुंध ***2-3*** गोलियां चलाईं- सड़क और उस स्थान के बीच की दूरी जहां शिकायतकर्ता दल बैठा था लगभग ***12*** फीट था और जहां मृतक था बैठना ***17*** फीट था - मृतक को चोट लगने की संभावना नहीं है भले ही ***10*** फीट की दूरी से ***12*** बोर की गोली चलाई गई हो - मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी के अनुसार ***2*** से ***3*** फीट की दूरी से ***12*** बोर की गोली चलाई गई थी - मेडिकल साक्ष्य शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी के नेत्र संबंधी संस्करण की पुष्टि नहीं करते हैं - दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया।

आयोजित, कि यदि ऊपर पुन: प्रस्तुत चोटों की प्रकृति की जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि 12 बोर का एक शॉट निकाल दिया गया था, जिसे करीब से निकाल दिया गया था। चूंकि वहां कालापन था, इसलिए मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी के अनुसार, यह दूरी 2-3 फीट हो सकती है। तथ्य यह है कि छर्रे शरीर में प्रवेश करते हैं और विभिन्न हिस्सों से टकराते हैं, यह दर्शाता है कि जब गोली चलाई गई थी, तो संभवतः स्कैपुला से टकराने के बाद छर्रों को विक्षेपित किया गया जिससे विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों को घातक चोटें आईं। किसी भी मामले में, यह करीब से दागी गई गोली थी।

(पैरा 39)

विनोद घई, वरिष्ठ अधिवक्ता, केशव प्रताप सिंह, अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं के लिए।

विवेक सैनी, डीएजी हरियाणा।

एस.के. गर्ग नरवाना, वरिष्ठ अधिवक्ता, नवीन गुप्ता, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

कुलदीप सिंह**,** जे**.**

(1) यह अपील विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम, पलवल द्वारा पारित दिनांक 17.3.2015 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक

18.3.2015 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके माध्यम से अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया और निम्नानुसार सजा सुनाई गई: -

दोषियों के नाम	अपराध	सजा सुनाई गई
हरेंद्र पाल, रविंदर, पृथी, बॉबी उर्फ प्रदीप, रिंकू, बीरपाल, योगेंद्र, भोला	आईपीसी की धारा 148	प्रत्येक को 1 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और प्रत्येक को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और जुर्माना अदा न करने पर 15 दिनों के लिए और कारावास की सजा भुगतनी होगी।
हरेंद्र पाल, रविंदर, पृथी, बॉबी उर्फ प्रदीप, रिंकू, बीरपाल, योगेंद्र, भोला	धारा 307 आईपीसी आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ा गया	प्रत्येक को 5 वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक को 5,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का और कारावास भुगतना होगा।
हरेंद्र पाल, रविंदर, पृथी, बॉबी उर्फ प्रदीप, रिंकू, बीरपाल, योगेंद्र, भोला	धारा 302 आईपीसी आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ा गया	प्रत्येक को आजीवन कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का और कारावास भुगतना होगा।
हरेंद्र पाल, रविंदर, पृथी, बॉबी उर्फ प्रदीप, रिंकू, बीरपाल, योगेंद्र, भोला	आईपीसी की धारा 506	प्रत्येक को 6 महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास और प्रत्येक को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और जुर्माना अदा न करने पर 15 दिनों के लिए और कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(2) सभी सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया था।

(3) महावीर (शिकायतकर्ता) पुत्र पूरन सिंह द्वारा दिनांक 31-3-2009 को 110 बजे एसआई रघुबीर सिंह, प्रभारी, पीपी हथीन गेट, पलवल के समक्ष दिए गए अपने बयान के अनुसार 30-3-2009 को अपराह्न 1000 बजे वह अपने भाई राजेन्द्र और चचेरे भाई राकेश पुत्र मोहन लाल, मुख्तियार पुत्र गुरदयाल और नीरज पुत्र राजेंद्र के साथ बेथक (ड्राइंग रूम) में बैठे हुए बात कर रहे थे। उसी समय काले रंग की एक टवेरा कार नंबर 0003 वाली वहां आई, जिसमें हरेंद्रपाल पुत्र भरत पाल, रविंदर और प्रीति पुत्र रघुराज सिंह (आरोपी) निवासी कानूनगो मोहल्ला, पलवल मौजूद थे। 3 मोटरसाइकिलें, जिन पर बॉबी उर्फ प्रदीप पुत्र कृष्ण पाल सिंह, रिंकू पुत्र पृथी, योगिंदर उर्फ भिंडी पुत्र

भानुपर्ताप, भोला पुत्र देशपाल, कानूनगो मोहल्ला निवासी भी निकले। सबसे पहले टवेरा कार में बैठे लोग आए और कहा कि वे शिकायतकर्ता पक्ष को नहीं छोड़ेंगे और उन्हें मार देंगे। उसी समय, मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति भी आए और अपने हाथों में हथियार होने से बिना रुके गोलीबारी शुरू कर दी। एक गोली नीरज की कमर के दाहिनी ओर लगी। इन सभी ने कार में और इधर-उधर छिपकर अपनी जान बचाई। महावीर (शिकायतकर्ता) के अनुसार, इन लोगों ने नीरज और उन पर जान से मारने के इरादे से गोलियां चलाईं। सभी आरोपी चिल्ला रहे थे कि वे शिकायतकर्ता को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वे फरार हो गए। वे नीरज को इलाज के लिए पलवल के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें डॉक्टर ने बीके अस्पताल, फरीदाबाद रेफर कर दिया। हालांकि, नीरज की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें फरीदाबाद के एस्कॉर्ट्स फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया।

(4) पुलिस कार्यवाही के अनुसार, पुलिस को 30-3-2009 को एक टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ था कि नीरज पुत्र राजेंद्र, निवासी कानूनगो मोहल्ला, पलवल को झगड़े में आई चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पर एएसआई रघुबीर सिंह पुलिस अधिकारियों के साथ पलवल के सरकारी अस्पताल आए, जहां से उन्हें पता चला कि घायलों को बीके अस्पताल फरीदाबाद रेफर कर दिया गया है। इसलिए, वह साथी पुलिस अधिकारियों के साथ फरीदाबाद के बीके अस्पताल पहुंचे, जहां से उन्हें पता चला कि घायलों को एस्कॉर्ट्स फोर्टिस अस्पताल, फरीदाबाद में भर्ती कराया गया है। इसके बाद वह साथी पुलिस अधिकारियों के साथ एस्कॉर्ट्स अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने घायलों को बयान देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। बाद में पूरन के पुत्र महावीर सिंह उपस्थित हुए और अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस ने घायल नीरज का एमएलआर भी एकत्र किया और शिकायतकर्ता और एमएलआर के बयान के आधार पर, औपचारिक एफआईआर नंबर 114 (एक्स.पीडब्लू 6/ए) 31.3.2009 को 2:10 बजे आईपीसी की धारा 148, 149, 307, 506 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत दर्ज की गई थी। पृष्ठांकन 31-3-2009 को 1:00 बजे पूरा किया गया था।

(5) इसी बीच, उसी रात नीरज की 31-3-2009 को तड़के 245 बजे मौत हो गई। आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध जोड़ा गया। डॉक्टर ने सूचना (एक्स.पीबी) पुलिस को भेजी, जिस पर पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया। जांच रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई थी। पुलिस ने भी घटनास्थल का दौरा कर साइट प्लान (Ex.PS) तैयार किया। मौके से 12 बोर का कारतूस और 315 बोर का एक कारतूस बरामद किया गया। अपराध स्थल से, जहां शिकायतकर्ता पक्ष बैठा था यानी नोहरा के अंदर, कुछ मांस, एक हड्डी और खून से सनी मिट्टी उठाई गई थी।

(6) हालांकि, जांच के दौरान, पुलिस ने महावीर सिंह द्वारा पेश किए गए संस्करण पर संदेह करना शुरू कर दिया और उसके द्वारा नामित आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तदनुसार, महावीर सिंह ने पलवल के विद्वान उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष एक आपराधिक

शिकायत दायर की, जिसमें उन्होंने मूल शिकायत में दिए गए संस्करण को दोहराया। हालांकि, उन्होंने उक्त शिकायत में मकसद भी बताया, इस तथ्य का खुलासा करते हुए कि हरेंद्र पाल (आरोपी) की बहन कामिनी कौशल, वर्ष 2005 में वार्ड नंबर 23 में महावीर सिंह (शिकायतकर्ता) के भाई सुखबीर सिंह उर्फ सुखी के खिलाफ नगर परिषद, पलवल का चुनाव हार गई थी। सुखबीर सिंह उर्फ सुखी चुने गए और कामिनी कौशल चुनाव हार गईं। आरोपी हरेंद्र पाल जिला कांग्रेस का अध्यक्ष है और एक धनी और परिचित व्यक्ति है। अपने राजनीतिक पद और संपर्कों का फायदा उठाकर वह आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे और अनावश्यक मामलों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आवेदक के परिवार के सदस्य को आरोपियों से हमेशा अपनी जान का खतरा रहता है। आरोपी हरेंद्र पाल पहले ही शिकायतकर्ता के भाई अनिल पुत्र राजेंद्र और शिकायतकर्ता के चाचा के बेटे सतबीर पुत्र मोहन लाल को पुलिस के साथ हाथ मिलाकर धारा 363, 364, 376 आईपीसी के तहत झूठे मामले में फंसा चुका है और परिवार के शेष सदस्यों को मारने के लिए तैयार है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि 3.4.2009 को कई लोग एसएसपी, पलवल से उनके आवास पर मिले और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एसएचओ सिटी पलवल आए और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने दो आरोपियों को पकड़ लिया है और बाकी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसी के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। हालांकि, एक सप्ताह के बाद, किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की और अंतत 22-4-2009 को विद्वान उप प्रभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पलवल के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। यह उक्त शिकायत है, जिस पर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें आरोपी की दोषसिद्धि को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I, पलवल द्वारा दर्ज किया गया था। उक्त शिकायत में, सभी आठ अपीलकर्ताओं को नामित किया गया था।

(7) प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने के बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 22.4.2010 के आदेश के तहत सभी अभियुक्तों को धारा 148, 149, 307, 302, 506 आईपीसी के साथ पठित धारा 149 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया। इसके बाद, मामला सत्र न्यायालय के लिए प्रतिबद्ध था। सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 148 के साथ धारा 149, 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसके लिए उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था।

(8) अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 1 डॉ डीएस राठी, चिकित्सा अधिकारी, बीके अस्पताल, फरीदाबाद, पीडब्ल्यू 2 महावीर (शिकायतकर्ता), पीडब्ल्यू 3 राकेश (चश्मदीद गवाह) पुत्र मोहन लाल , पीडब्लू 4 मुख्तियार (चश्मदीद गवाह) पुत्र गुरदयाल सिंह, पीडब्लू 5 डॉ प्रबल रॉय, सर्जन, एशियन हॉस्पिटल, फरीदाबाद, पीडब्लू 6 एएसआई राम चंद पीएस सिटी पलवल, पीडब्लू 7 डॉ संजय कुमार, चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी, मिंडकोला और उसके बाद, अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य बंद कर

दिए।

(9) सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज बयान में, अभियुक्तों ने उनके खिलाफ दिए गए सबूतों को गलत बताते हुए इनकार किया और दलील दी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। सभी अभियुक्तों ने लगभग एक ही दलील दी जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है: -

> शिकायतकर्ता सुखबीर उर्फ सुखी का सगा भाई है। उक्त सुखी और उसका भतीजा अनिल आईपीसी की धारा 376 के तहत एक मामले में आरोपी थे, जिसमें आरोप चंदानी पुत्र मनोज के बलात्कार से संबंधित थे, जो वीरपाल सिंह का बड़ा भाई है।
>
> आरोपी अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से अदालत के बाहर समझौता करने के लिए दबाव डाल रहे थे और चूंकि पीड़िता का परिवार ऐसा करने को तैयार नहीं था। इसलिए, सुखी (आरोपी) और उसके रिश्तेदारों ने हमें इस झूठे मामले में फंसाने की योजना बनाई ताकि हमें समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सके।
>
> वर्तमान मामले में महावीर शिकायतकर्ता ने 30.3.2009 को तथाकथित घटना के पूरे संस्करण को गढ़ा और नीरज को उनके द्वारा हमारे खिलाफ झूठा मामला बनाने के लिए घायल कर दिया गया और महावीर एफआईआर नंबर 114 दिनांक 31.3.2009 के बयान पर धारा 148, 149, 307, 120-बी, 302, 506 के तहत धारा 24, 54, 59 आर्म्स एक्ट के साथ पठित पुलिस स्टेशन सिटी पलवल में दर्ज किया गया। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि नीरज को शिकायतकर्ता पक्ष ने ही गोली से घायल किया था, लेकिन उसे चोट पहुंचाने के इरादे से हमें झूठे मामले में फंसाया गया, लेकिन नीरज की मौत हो गई। पुलिस द्वारा की गई जांच के आधार पर हम निर्दोष पाए गए और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को फंसाया गया। वह और उसके साथी अब उसी प्राथमिकी में आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं और आरोपी भी हैं, जिसकी कार्यवाही राज्य बनाम रविंदर उर्फ रब्बो और अन्य शीर्षक वाले मामले में इस माननीय न्यायालय के समक्ष भी लंबित है। हमारे खिलाफ आपराधिक शिकायत केवल हमें परेशान करने और झूठे मामले में फंसाने के लिए थी।

(10) बचाव में आरोपी ने डीडब्ल्यू 1 संजीव कालरा, अपराधी अहलमद, डीडब्ल्यू 2 महावीर सिंह, सेवानिवृत्त निरीक्षक, डीडब्ल्यू 3 जगत सिंह सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक से पूछताछ की और बचाव साक्ष्य बंद कर दिए।

(11) विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I, पलवल ने सबूतों को देखने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद, उपरोक्त के अनुसार अभियुक्त को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

(12) हमने अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील,

शिकायतकर्ता-प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है और निचली अदालत के रिकॉर्ड/फाइल को भी ध्यान से देखा है।

(13) शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जांच के बाद, पुलिस ने पाया कि वर्तमान अपीलकर्ता निर्दोष हैं और शिकायतकर्ता पक्ष ने स्वयं अपराध किया है। इसलिए महावीर और कुछ अन्य लोगों का पुलिस ने चालान कर दिया। इस अदालत को सूचित किया गया है कि उक्त आरोपी महावीर सिंह और अन्य के बरी होने में उक्त मुकदमा समाप्त हो गया, जिसके बारे में राज्य ने एक अलग अपील दायर की है, जो अभी भी प्रवेश के चरण में है।

(14) सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 7.8.2015 के आदेश के तहत इस न्यायालय को उसके समक्ष लंबित अपील यानी सीआरए-डी-499-डीबी-2015 का शीघ्र निपटान करने का निर्देश दिया।

(15) सबसे पहले, हम रिकॉर्ड पर उपलब्ध चिकित्सा साक्ष्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

(16) बताया जा रहा है कि घायल को सबसे पहले पीएचसी मिंडकोला ले जाया गया, जहां उसे मेडिकल ऑफिसर (पीडब्लू 7) डॉ. संजय कुमार ने देखा। डॉक्टर के अनुसार मरीज को रात 10:30 बजे लाया गया था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:-

> 1. कंधे के नीचे दाईं ओर रीढ़ की हड्डी पर लैकरेटेड पंचर घाव 8 x 2.5 सेमी आकार के पीछे दाईं ओर रीढ़ की हड्डी पर छोटे सटीक घाव के साथ। खून बह रहा है। घाव के आसपास कई छींटे के निशान मौजूद थे। टाटू घाव के नरम ऊतक में मौजूद था, मारिगिन उलटे थे। एक्स-रे छाती, सर्जन की राय और बैलेस्टिक विशेषज्ञ की राय की सिफारिश की गई थी।

(17) पीडब्लू 5 डा प्रबल राय, सर्जन, एशियन अस्पताल ने बताया कि घायल को 30-3-2009 को एस्कॉर्ट्स फोर्टिस अस्पताल, फरीदाबाद लाया गया था, जिसमें आग्नेयास्त्र की चोट का कथित इतिहास रात्रि लगभग 1000 बजे हुआ था। जांच करने पर, रोगी हाइपोवोलुमिक शॉक में था और उसके दाहिने तरफ छाती में घाव थे। रोगी को आपातकालीन सर्जरी के लिए ले जाया गया जिसमें बड़े पैमाने पर हेमोथोरैक्स और कई फेफड़ों के घाव और हिलर चोटों का उल्लेख किया गया था। फेफड़ों की चोट की मरम्मत की गई और अगले दो घंटों में रोगी को 23 यूनिट रक्त उत्पाद दिए गए। तथापि, भरसक प्रयासों के बावजूद रोगी को बचाया नहीं जा सका और उसे 31-3-2009 को 245 बजे मृत घोषित कर दिया गया।

(18) जिरह में उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, घाव वाली जगह पर मार्जिन काले और उलटे थे। रिकॉर्ड के अनुसार, यह 8 x 2.5 सेमी आकार का एक बड़ा लैकरेशन था। घायलों के संबंध में इस्तेमाल की जाने वाली बन्दूक करीब सीमा में थी।

(19) इसके अलावा पीडब्लू 1 डॉ. डीएस राठी, चिकित्सा अधिकारी, बीके अस्पताल, फरीदाबाद, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, ने गवाही दी कि वह उस बोर्ड के सदस्य थे जिसने नीरज के शव का पोस्टमार्टम किया था। शव पर निम्नलिखित चोट के निशान पाए गए :-

'चोट लगना

1. दाएं स्कैपुला के अवर कोण के लिए दाएं पूर्वकाल एक्सिलरी लाइन पर 11 इंच आकार का एक अच्छी तरह से सिले हुआ घाव मौजूद था। एक और उकसाया हुआ (सर्जिकल) घाव 1.5x2 इंच स्कैपुला के अवर कोण के ठीक नीचे मौजूद था, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिलाई लाइन से 4 सेमी नीचे।

2. आवक मार्जिन के साथ बारह (12) छिद्रित घाव गोदना काला करने वाला आकार 0.7 x 1.5 सेमी सही पीठ 6 x 9 इंच क्षेत्र के क्षेत्र में मौजूद था। कुछ सिले हुए लाइन के ऊपर मौजूद हैं और कुछ सिले हुए लाइन के नीचे मौजूद हैं।

आंतरिक परीक्षा

कपाल और रीढ़ - स्वस्थ, पीला

वक्ष: दाएं निचले रिब पिंजरे में कई फ्रैक्चर थे, दाएं फुफ्फुस गुहा में लगभग 1 लीटर रक्त होता है और पीछे की सतह पर पंगु होता है, बाएं फुफ्फुस गुहा में लगभग 400 सीसी रक्त होता है, दायां फेफड़ा ढह गया था, कई पंगु के साथ पीला, बाएं फेफड़े का पतन और पीला, स्वरयंत्र और श्वासनली पीला, मीडियास्टिनम में प्रमुख जहाजों को खराब कर दिया गया था, दिल खाली और पीला था, आठ (8) छर्रों फेफड़ों, फुफ्फुस गुहा, मीडियास्टिनम और यकृत से बरामद किए गए थे। शीशी में पैक और सील किया और पुलिस को सौंप दिया।

(20) डॉक्टर की राय के अनुसार, इस मामले में मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण अंगों, फेफड़ों, यकृत और प्रमुख वाहिकाओं में चोट लगने के कारण रक्तस्राव और सदमे के कारण था।

(21) जिरह में, उन्होंने कहा कि दाहिने पीठ के क्षेत्र में छिद्रित घावों का कालापन था। कुछ छर्रे पीठ के ऊपरी हिस्से में और कुछ पीठ के निचले हिस्से में मौजूद थे। उसे याद नहीं है कि छर्रे त्वचा गहरे, मांसपेशियों में गहरे, हड्डी गहरे थे या नहीं। पोस्टमार्टम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। डॉक्टर ने स्पष्ट किया है कि फेफड़े, फुफ्फुस गुहा, मीडियास्टिनम और यकृत से आठ छर्रे बरामद किए गए थे। इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया।

(22) अब, इस अदालत को यह जांच करनी है कि डॉक्टरों द्वारा बताई गई चोटों की प्रकृति को देखते हुए नीरज को लगने वाली 12 बोर की गोली कितनी दूरी से चलाई गई थी।

(23) मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी के अनुसार आग्नेयास्त्र की दूरी को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

'<u>बन्दूक की दूरी</u>

यदि एक बन्दूक को शरीर के बहुत करीब या वास्तविक संपर्क में छुट्टी दे दी जाती है, तो प्रवेश द्वार के घाव के चारों ओर दो या तीन इंच के क्षेत्र में चमड़े के नीचे के ऊतकों को खराब कर दिया जाता है और आसपास की त्वचा आमतौर पर धुएं से झुलस जाती है और काली हो जाती है और बारूद या धुआं रहित प्रणोदक शक्ति के बिना जले अनाज के साथ टैटू किया जाता है। आसन्न बाल गाए जाते हैं, और भाग को कवर करने वाले कपड़े लौ से जल जाते हैं। यदि पाउडर धुआं रहित है, तो घाव के आसपास की त्वचा पर एक भूरा या सफेद जमाव हो सकता है। यदि क्षेत्र को अवरक्त प्रकाश द्वारा फोटो खींचा जाता है, तो घाव के चारों ओर एक धुआं प्रभामंडल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर बन्दूक जैसी बन्दूक को तीन फीट से अधिक की दूरी से छुट्टी नहीं दी जाती है और लगभग दो फीट के भीतर एक रिवाल्वर या पिस्तौल का निर्वहन किया जाता है, तो कालापन पाया जाता है। शक्ति अवशेषों की अनुपस्थिति में, जहां तक दूरी का संबंध है, एक दूर के शॉट और दूसरे के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। बाद की आग्नेयास्त्रों के मामले में झुलसने की स्थिति कुछ इंच के भीतर देखी जाती है, जबकि शॉटगन के मामले में झुलसने के कुछ सबूत एक से तीन फीट पर भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा, ये संकेत अनुपस्थित हो सकते हैं जब हथियार को शरीर की त्वचा के खिलाफ कसकर दबाया जाता है, क्योंकि विस्फोट की गैसें और लौ का धुआं और बारूद के कण सभी शरीर में गोली के ट्रैक का अनुसरण करेंगे। बारिश से त्वचा या कपड़ों का गीला होना झुलसने की सीमा को कम करता है। गीली सतह से कालापन प्रभावित नहीं होता है, हालांकि इसे गीले कपड़े से आसानी से हटाया जा सकता है। एक उच्च शक्ति राइफल के साथ काला करना लगभग एक फीट तक हो सकता है। आमतौर पर, यदि बिना जले पाउडर के दाने होते हैं, तो संकेत यह है कि गोली रिवाल्वर या पिस्तौल से चलाई गई थी और हथियार की बैरल को छोटा किया गया था, अधिक से अधिक थोड़ा जले हुए पाउडर अनाज की उपस्थिति की प्रवृत्ति होगी।

(24) अब, हम एफएसएल रिपोर्ट (Ex.D4) पर आते हैं, यह दर्शाता है कि मृतक के विसरा में, 40.25 मिलीग्राम% की ताकत में एथिल अल्कोहल पाया गया था। मांस और हड्डी के बारे में, एफएसएल रिपोर्ट में पाया गया है कि उत्पत्ति और लिंग की प्रजातियों के बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती है। हालांकि, रक्त और मांस मानव का पाया गया था। समूह को अनिर्णायक पाया

गया। एफएसएल की दिनांक 27-10-2009 की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, एक की जांच करने पर। कहा जाता है कि राज्य मामले में पुलिस द्वारा चालान किए गए शिकायतकर्ता पक्ष के आरोपी रविंदर उर्फ रघु से 315 "मिसफायर कारतूस, 12 बोर फायर कारतूस केस का एक धातु का सिर और एक देशी पिस्तौल बरामद की गई है। यह पाया गया कि देशी पिस्तौल (डब्ल्यू / सी/1 चिह्नित 12 बोर फायर कारतूस केस के धातु के सिर की टक्कर कैप छिद्रित पाई गई थी और देशी पिस्तौल डब्ल्यू/1 के साथ सी/1 के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं बनाई जा सकी। MC/1 चिह्नित मिसफायर कारतूस .315" मिसफायर कारतूस पाया गया।

(25) अब पुलिस द्वारा तैयार किए गए साइट प्लान (Ex.PS) की भी जांच की जानी है। पुलिस द्वारा तैयार किए गए साइट प्लान (Ex.PS) के अनुसार, नोहरा के बाहर प्रांगण के सामने गली में एक 12 बोर का इस्तेमाल किया हुआ कारतूस और एक 315 बोर का मिस्ड कारतूस पाया गया, जहां मृतक शिकायतकर्ता पक्ष के साथ बैठा था। गली में पास के स्थान पर खून से सना कीचड़ उठाया गया। साइट प्लान के अनुसार, मृतक नीरज महावीर, रविंदर, राकेश और मुख्तियार के साथ बिंदु 'डी' पर बैठा था जो नोहरा के अंदर है। बिंदु 'ई' से जो नोहरा के अंदर बिंदु 'ए' और बिंदु 'डी' के बीच है, हड्डी का एक टुकड़ा और कुछ मांस बरामद किया गया था। पुलिस के अनुसार, मार्क 'ए' से 'बी' के बीच की दूरी 1 1/2 फीट, मार्क 'ए' से 'सी' के बीच 2 फीट, मार्क 'ए' से 'ई' के बीच 12 फीट, मार्क ए से डी के बीच जहां खाट पड़ी है उसके बीच की दूरी 17 फीट, गली की चौड़ाई 21 फीट और मेन गेट से मार्क ए के बीच की दूरी 5 फीट है। साइट प्लान से पता चलता है कि पुलिस निरीक्षण के अनुसार, जिस बिंदु से गोली चलाई गई थी, गली में बिंदु 'बी' और 'सी', दूरी लगभग 17 फीट है। जिस स्थान पर हड्डी का टुकड़ा और कुछ मांस मिला वह लगभग 12 फीट का है। सड़क अपने आप में 21 फीट है और गेट से 'ए' के निशान के बीच की दूरी 5 फीट है। शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, गली में आने के दौरान आरोपियों ने उन पर कई बार गोलियां चलाईं।

(26) अब, नेत्र गवाही पर आते हुए, शिकायतकर्ता महावीर सिंह (PW2) ने अपनी कहानी दोहराई है, जैसा कि शिकायत में कहा गया है। उन्होंने अपने भाई सुखबीर उर्फ सुखी और अभियुक्त हरेन्द्र पाल की बहन श्रीमती कामिनी कौशल के बीच वर्ष 2005 में हुए नगर पालिका के चुनाव के बारे में बताया, जिसमें कामिनी कौशल चुनाव हार गई थीं। उन्होंने आगे कहा कि सुखबीर उर्फ सुखी और उनके भतीजे अनिल सहित पांच लोगों को आईपीसी की धारा 376 के तहत एक झूठे मामले में फंसाया गया था, जिसमें उन्हें अदालत ने बरी कर दिया था और अपराध के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि एक टवेरा कार नंबर 0003 के साथ वहां आई थी। उक्त वाहन काले रंग का था। उस कार में हरेंद्र पाल, रविंदर, पृथी आए। अन्य आरोपी बॉबी, भोला, योगेंद्र, बीरपाल और रिंकू 2-3 मोटरसाइकिल पर आए थे। कार से उतरने के बाद हरेंद्र पाल, रविंदर और पृथी ने कहा कि शिकायतकर्ता पक्ष को जिंदा जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वे कट्टा से लैस थे। बॉबी, योगेंद्र, भोला, रिंकू और

बीरपाल ने इन कट्टों से आपत्तिजनक गोलीबारी का सहारा लिया। उन्होंने दीवारों और चारपाई के पीछे शरण ली। इनमें से एक शॉट नीरज के कंधे के पिछले हिस्से पर दाहिनी तरफ लगा। नीरज नीचे गिर गया। वे दीवारों आदि के पीछे रह गए। हमलावर टवेरा कार और मोटरसाइकिल में सवार होकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद घायल को जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे फरीदाबाद के बीके अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि, उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए, वे उसे फरीदाबाद के एस्कॉर्ट्स फोर्टिस अस्पताल ले गए। अगले दिन करीब 2:40 बजे नीरज की मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने हरेंद्र पाल (आरोपी) के राजनीतिक प्रभाव के कारण आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने एसपी से भी मुलाकात की। एसपी ने बताया कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अंतत उन्होंने न्यायालय में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई।

(27) महावीर सिंह (शिकायतकर्ता) से जिरह से पता चलता है कि घटना के दिन सुखबीर उर्फ सुखी आईपीसी की धारा 376 के तहत एक मामले में भोंडसी जेल में था। कामिनी कौशल ने कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की थी। नगर पालिका चुनाव के बाद सुखबीर उर्फ सुखी और कामिनी कौशल के बीच कोई मुकदमेबाजी नहीं हुई। सुखबीर उर्फ सुखी व अन्य के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले के संबंध में उन्होंने कहा कि उक्त मामले में हरेंद्र पाल गवाह नहीं था। सुखबीर उर्फ सुखी को इस मामले में चुनाव से करीब चार साल पहले गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने समझौते के लिए उस मामले में पंचायत बुलाने के प्रयास किए थे, लेकिन विपरीत पक्ष पंचायत में नहीं आया। सुखबीर उर्फ सुखी और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज उक्त मामले के कारण बहुत अपमान और अपमान महसूस किया। उन्होंने कहा कि सुखबीर उर्फ सुखी को बरी किए जाने के खिलाफ उनकी जानकारी के अनुसार आईपीसी की धारा 376 में कोई अपील दायर नहीं की गई है। उन्होंने स्वीकार किया कि जांच में पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों को निर्दोष पाया। बल्कि, वह, रविंदर उर्फ रब्बो (अब मृतक) दलीप और सोनू आदि को उक्त मामले में आरोपी बनाया गया था और वह मुकदमा अभी भी अदालत में लंबित है। उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त मामले के चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर, वर्तमान आपराधिक शिकायत में अभियुक्तों को बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आवेदन उनके द्वारा दायर किया गया था, जिसे उक्त मामले में खारिज कर दिया गया था। स्थान के बारे में महावीर सिंह ने कहा कि उनके नोहरा से सटी 12 से 14 फीट की पक्की सड़क है। गेट की चौड़ाई 5 फीट है और इसकी ऊंचाई लगभग 3 फीट है। बरामदा जमीनी स्तर से 2 फीट ऊपर है। बरामदे से सटी दीवार की ऊंचाई करीब 10 फीट है। बरामदा लगभग 40 फीट x 40 फीट है और वही दीवारों से घिरा हुआ है। वे रात 9:00 बजे से बरामदे में बैठे थे और घटना रात 10:00 बजे हुई। आरोपियों के घर घटना स्थल से पांच किलों की दूरी पर हैं। गोलीबारी 2-3 मिनट तक चली और इस प्रक्रिया में सिर्फ 2-3 गोलियां ही

चलाई गईं। नीरज जिस स्थान पर गिरा था, उसके पास एक खाली कारतूस पड़ा मिला और बाकी गोलियां चौपाल के किसी पेड़ या दीवार पर नहीं लगीं। पेड़ चौपाल के मुख्य द्वार से 6 फीट की दूरी पर होना चाहिए। गोली गेट के पास सड़क से ही चलाई गई।

(28) यह बयान उस समय अपराध के दृश्य को स्थापित करेगा जब गोलियां चलाई गई थीं। उक्त कमरे के बारे में जहां घटना हुई, उन्होंने कहा कि घटना के बाद, कमरे को ध्वस्त कर दिया गया था और वहां नए निर्माण का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने किया था। खर्च सरकार द्वारा वहन किया गया था। पत्थर करण सिंह दलाल के नाम पर रखा गया था, जो उस समय कांग्रेस पार्टी में थे। करण सिंह दलाल उन दिनों मंत्री थे, जबकि हरेंद्र पाल सिंह जिलाध्यक्ष थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रब्बो उन दिनों आईपीसी की धारा 376 के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में फरार था। उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों पक्षों के बीच आईपीसी की धारा 307 के तहत एक और मामला लंबित है। उन्होंने बचाव पक्ष के बयान से इनकार किया।

(29) अन्य दो चश्मदीद गवाह, राकेश (PW3) और मुख्तियार (PW4) ने कमोबेश एक ही बयान दिए। उन्होंने कहा कि 2-3 गोलियां चलाई गईं। राकेश (PW3) ने दावा किया कि नीरज चौपाल से सटी सड़क से 8-10 फीट की दूरी पर था। दोनों पक्षों ने आईपीसी की धारा 376 के तहत पक्षकारों के बीच विवाद को निपटाने के लिए पंचाट के माध्यम से प्रयास किए, लेकिन प्रयास व्यर्थ साबित हुए। उसने स्वीकार किया कि सुखबीर उर्फ सुखी से मिलने के लिए नीरज भी 29-3-2009 को भोंडसी जेल गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि गोलियां पेड़ों या दीवार के पीछे नहीं लगीं।

(30) पीडब्लू 6 एएसआई राम चंद ने बताया कि इस मामले में जांच के बाद रविंदर उर्फ रब्बो पुत्र रघुनाथ सिंह, दलीप सिंह पुत्र धरम सिंह, योगेश पुत्र राजेंद्र सिंह और सोनू पुत्र कालू खान के खिलाफ चालान पेश किया गया था। इस मामले में महावीर (वर्तमान शिकायतकर्ता) के खिलाफ और सुखबीर उर्फ सुखी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 506, 148, 149 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत पूरक चालान दायर किया गया था।

(31) बचाव में आरोपी को थाना सिटी पलवल में दर्ज आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 307, 452, 506 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर नंबर 121 दिनांक 24.3.2008 की प्रमाणित प्रति मिली, जिसमें रद्दीकरण रिपोर्ट पेश की गई।

(32) सेवानिवृत्त निरीक्षक डीडब्ल्यू 2 महावीर सिंह ने कहा कि उन्होंने मामले की जांच की थी और तथ्यों की पुष्टि और मौके के निरीक्षण के बाद, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिकायतकर्ता महावीर सिंह द्वारा प्राथमिकी में नामित आरोपी निर्दोष पाए गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2.9.2009 को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कारण और जांच दी गई जिसके आधार पर एफआईआर में नामित अभियुक्तों का चालान नहीं

किया गया। बल्कि, उक्त व्यक्तियों अर्थात् रविंदर उर्फ रब्बो और अन्य का उसके द्वारा चालान किया गया था।

(33) प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां रक्षा पक्ष के अनुसार कथित घटना हुई थी, वहां से कोई खून नहीं उठाया गया था, न ही वहां कोई खाली, गोली या वड्डु बरामद किया गया था, न ही उक्त ट्यूबवेल से कोई बोरी एकत्र की गई थी।

(34) डीडब्ल्यू 3 जगत सिंह, सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक, शपथ पत्र एक्स.डीएक्स की प्रमाणित प्रति के बारे में बताते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, हलफनामे के बारे में जो वर्तमान मामले में सारहीन है।

(35) सबसे पहले, हम जांच करेंगे कि क्या अभियुक्त की ओर से अपराध करने का मकसद है।

(36) जैसा कि आरोप लगाया गया है, इस मामले में मकसद यह है कि हरेंद्र पाल सिंह की बहन कामिनी कौशल वर्ष 2005 में महावीर सिंह के भाई सुखबीर सिंह उर्फ सुखी से चुनाव हार गई थीं। वर्तमान घटना 30.3.2009 को हुई यानी 4 साल बाद। कामिनी कौशल और सुखबीर सिंह उर्फ सुखी के बीच कोई चुनावी मुकदमा नहीं हुआ। इसलिए, यह संभावना नहीं है कि 4 साल बाद, आरोपी के पास उक्त अपराध करने का मकसद होगा।

(37) किसी भी मामले में, यह साबित होता है कि पार्टियों में झगड़ा हुआ था। सुखवीर सिंह उर्फ सुखी व अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके लिए वर्तमान आरोपियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उक्त मामला विचारण के लिए लंबित था। निस्संदेह, शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ आरोपी पक्ष द्वारा धारा 307 आईपीसी के तहत मामला भी दर्ज किया गया था, जिसमें रद्दीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

(38) शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अदालत को सूचित किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत पर, अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। इसलिए, यह स्पष्ट है कि पार्टियों के अच्छे संबंध नहीं थे। हालांकि, मकसद हमेशा दोधारी हथियार होता है। यह शिकायतकर्ता पक्ष के लिए आरोपी पक्ष के साथ हिसाब बराबर करने और उन्हें एक मामले में फंसाने का मकसद हो सकता है। दूसरी ओर, आरोपी पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता पक्ष के साथ हिसाब बराबर करना और उन्हें किसी मामले में फंसाना मकसद हो सकता है। इसलिए, इस न्यायालय को यह जांच करनी है कि किस पक्ष की गलती है।

(39) अब, यदि ऊपर पुनरुत्पादित चोटों की प्रकृति की जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि 12 बोर का एक शॉट निकाल दिया गया था, जिसे करीब से निकाल दिया गया था। चूंकि वहां कालापन था, इसलिए मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी के अनुसार, यह दूरी 2-3 फीट हो सकती है। तथ्य यह है कि छर्रे शरीर में प्रवेश करते हैं और विभिन्न हिस्सों से

टकराते हैं, यह दर्शाता है कि जब गोली चलाई गई थी, तो संभवतः स्कैपुला से टकराने के बाद छर्रों को विक्षेपित किया गया जिससे विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों को घातक चोटें आईं। किसी भी मामले में, यह करीब से दागी गई गोली थी।

(40) अब, जब शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में दिए गए संस्करण के साथ-साथ एफआईआर और अदालत में दिए गए बयानों से इसकी पुष्टि होती है कि आरोपी ने कथित रूप से अंधाधुंध गोलीबारी की, जो शिकायतकर्ता और चश्मदीद गवाहों के दावे के अनुसार, 2-3 शॉट थे। गोलियां गली में खड़े होकर चलाई गईं। जिस गली और उस स्थान पर शिकायतकर्ता पक्ष खाट पर बैठा था, उसके बीच की दूरी लगभग 12 फीट है और जहां नीरज को टक्कर मारी गई थी, उसके बीच की दूरी लगभग 17 फीट थी।

(41) हमारा दृढ़ मत है कि यदि 10 फीट की दूरी से भी 12 बोर की गोली चलाई जाती है, तो वर्तमान चोट की संभावना नहीं है। दूरी के साथ, 12 बोर छर्रों फैल गया और अधिक विस्तृत क्षेत्र को कवर किया. इसलिए, यह किसी विशेष बिंदु पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा और कालापन नहीं करेगा। गली से बरामद 315 बोर मिस्ड कारतूस किसी भी हथियार से मेल नहीं खा रहे थे। इसके अलावा, शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 2-3 गोलियां चलाई गईं। यह मानते हुए भी कि शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा अदालत में दिया गया संशोधित संस्करण सही है, अगर सभी छर्रे मृतक को लगते हैं, तो अन्य गोलियां पीछे की दीवार से टकराई होंगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट है। शिकायतकर्ता या प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा यह दावा नहीं किया गया है कि पीछे की दीवार पर या पेड़ों पर कोई निशान पाया गया था, न ही कोई गोली कहीं फैली थी और पेड़ों के किसी हिस्से या पीछे की इमारत पर लगी थी। इसलिए, चिकित्सा साक्ष्य शिकायतकर्ता और चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए नेत्र संबंधी संस्करण की पुष्टि नहीं करते हैं।

(42) इसके अलावा, पुलिस को अपराध स्थल से कुछ मांस और हड्डी का एक टुकड़ा मिला। न तो मांस मृतक का पाया गया और न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मांस का कुछ हिस्सा या शव से हड्डी गायब पाए जाने की सूचना मिली।

(43) अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई है।

(44) हमारा दृढ़ मत है कि प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं की गई है। यह घटना 30-3-2009 को रात्रि 1000 बजे घटी। इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष घायलों को विभिन्न अस्पतालों में ले गया। दोपहर 1:10 बजे पुलिस अस्पताल पहुंची और तुरंत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया। इसके बाद, पुलिस मशीनरी को गति दी गई और जांच अधिकारी ने औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पुलिस स्टेशन को पृष्ठांकन भेजा और उसके बाद औपचारिक प्राथमिकी को लिखित रूप में कम कर दिया गया।

(45) शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि इस मामले में, पुलिस द्वारा जांच दागी गई थी। पुलिस ने भौतिक साक्ष्य एकत्र नहीं

किए क्योंकि आरोपी पक्ष प्रभावशाली था। हालांकि, साथ ही, इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि आरोपी पक्ष करण सिंह दलाल के साथ भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, जो उसी पार्टी से संबंधित हैं। इसलिए, जाहिरा तौर पर दोनों पक्ष अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सत्यापन के बाद, शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया बयान गलत पाया गया। यहां तक कि अगर इस अदालत द्वारा पुलिस जांच को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तब भी यह पाया जाता है कि एफआईआर में शिकायतकर्ता और चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए नेत्र संबंधी संस्करण और अदालत में शिकायतकर्ता और चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए बयान चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। इसलिए, पुलिस का यह निष्कर्ष निकालना न्यायोचित था कि अपराध जैसा कि आरोप लगाया गया था, नहीं हुआ था।

(46) शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कम से कम पांच आरोपी देसी पिस्तौल से लैस थे, जबकि टवेरा कार से आए हरेंद्र पाल, रविंदर और पृथी के पास कोई बन्दूक नहीं थी। इसलिए, अगर सभी 5 अन्य आरोपी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते और यहां तक कि अगर उन्होंने एक-एक गोली भी चलाई, तो यह उस जगह के पीछे के पेड़ों, दीवार या इमारत के किसी हिस्से से टकरा जाता, जहां शिकायतकर्ता फायरिंग के दौरान खुद को छिपा रहा था। इसलिए, हम पुलिस द्वारा जांच से पूरी तरह सहमत हैं कि अपराध आरोपी पक्ष द्वारा नहीं किया गया था और शिकायतकर्ता पक्ष के उस संस्करण को पुलिस द्वारा जांच के दौरान सही तरीके से खारिज कर दिया गया था।

(47) शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि नीरज 25 साल का युवक था। यह बहुत कम संभावना है, जैसा कि बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया है कि शिकायतकर्ता पक्ष नीरज को आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला बनाने के लिए घायल कर देगा। आगे यह बताया गया है कि, स्वयं को चोट लगने की चोटों के मामले में, महत्वपूर्ण भागों पर चोटें आमतौर पर संभव नहीं होती हैं।

(48) हम शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क से पूरी तरह सहमत हैं कि स्वयं को चोट पहुंचाने के मामले में, ज्यादातर मामलों में यह गैर-महत्वपूर्ण भागों पर होता है और निश्चित रूप से स्कैपुला जैसे महत्वपूर्ण भागों पर नहीं होता है। इसलिए शिकायतकर्ता पक्ष 25 साल के युवा लड़के को बलि का बकरा बनाने की कोशिश नहीं करेगा।

(49) अब आगे यह प्रश्न उठेगा कि घटना कैसे हुई।

(50) यह न्यायालय जांच करने और यह पता लगाने के लिए नहीं है कि यदि आरोपी पक्ष ने अपराध नहीं किया था, तो किसने अपराध किया है। यह पुलिस का काम था। शिकायतकर्ता ने एक निश्चित संस्करण दिया जो चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। इसलिए, यह न्यायालय निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया था, जैसा कि शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया है। पार्टियों के बीच खराब खून शिकायतकर्ता पक्ष के लिए एक बंदूक की

गोली की चोट के लिए 8 व्यक्तियों के रूप में नामित करके आरोपी पक्ष के साथ स्कोर करने का अवसर खोजने का कारण हो सकता है। अपराध एक अलग तरीके से होने की संभावना है और शिकायतकर्ता को आरोपी पक्ष के साथ स्कोर निपटाने का अवसर मिल रहा है। यह न्यायालय इस बात पर टिप्पणी नहीं करेगा कि अपराध में और कौन शामिल है क्योंकि पुलिस के कहने पर, शिकायतकर्ता पक्ष का चालान किया गया और बरी कर दिया गया और राज्य द्वारा दायर अपील पर अलग से फैसला किया जाना है।

(51) पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन का मामला सभी उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने यह पता लगाने में गलती की कि आरोपी अपराध में शामिल हैं। तदनुसार, हम निम्नलिखित आदेश देते हैं: -

(1)CRA-D-499-DB-2015 की अनुमति है। सभी आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

(2)अपीलकर्ता नंबर 1 हरेंद्र पाल पुत्र भरत लाल, अपीलकर्ता नंबर 2 रविंदर पुत्र रघुराज सिंह और अपीलकर्ता नंबर 3 पृथी पुत्र रघुराज सिंह, जो जमानत पर हैं, उनके जमानत बांड और जमानती बांड को मुक्त कर दिया गया है। अपीलकर्ता क्रमांक 1 से 3 द्वारा यदि कोई भुगतान किया गया हो तो उन्हें वापस किया जाए।

(3)अपीलकर्ता नंबर 4 बॉबी उर्फ प्रदीप पुत्र कृष्ण पाल सिंह, अपीलकर्ता नंबर 5 रिंकू पुत्र पृथी, अपीलकर्ता नंबर 6 बीरपाल पुत्र कुशाल पाल, अपीलकर्ता नंबर 7 योगेंद्र उर्फ भिंडी पुत्र भानु प्रताप और अपीलकर्ता नंबर 8 भोला पुत्र देशपाल, जो हिरासत में हैं, यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। जुर्माना, यदि अपीलकर्ता संख्या 4 से 8 द्वारा भुगतान किया जाता है, तो उन्हें वापस किया जाए।

शुबरीत कौर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा